

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28(1)पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./से.नि./2016/2433 जयपुर,दिनांक: 9.6.16

-: आ दे श :-

श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, का दिनांक 06.05.2016 को स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्हें औपचारिक रूप से दिनांक 06.05.2016 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,



(मातादीन शर्मा)

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सवाई माधोपुर को उनके पत्र क्रमांक 259 दिनांक 03.06.2016 के क्रम में।
3. विकास अधिकारी, पं.स. गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर)
4. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली



अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव